संख्या–क0नि05–1716 / 11–2010–500(11) / 2010

प्रेषक,

वीरेन्द्र प्रताप सिंह,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबन्धन,

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–5 लखनऊ दिनांक 28 अप्रेल, 2010

विषय–नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस– वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अर्जित भूमि पर स्टाम्प शुल्क से छूट के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक औद्योगिक विकास विभाग के शासनादेश संख्या–1216/77–3–10 – 184अर्जन/09 दिनांक 24 अप्रेल, 2010 एवं तत्क्रम में जारी अधिसूचना संख्या–क0नि05–1679 / 22–2010–500(11)/2010 दिनांक 25.04.2010 द्वारा नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा उन भू–स्वमियों, जिनकी भूमि अर्जित की गयी थी या अर्जनाधीन है, के पक्ष में निष्पादित भूमि के पटटा–लिखत पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची एक–ख के अनुच्छेद 35 के अन्तर्गत प्रभार्य शुल्क से छूट प्रदान की गयी है।

अतः उक्त शासनादेश व अधिसूचना की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–1216/77–3–10– 184 अर्जन /09 दिनांक 24

अप्रेल, 2010 से आच्छादित मामलों में अधिसूचना दिनांक 25.05.2010 में प्राविधानित व्यवस्था अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अधिसूचना दिनांक 25.04.2010 औद्योगिक विकास विभाग के शासनादेश दिनांक 24.04.2010 से आच्छादित मामलों में ही प्रभावी है। कृपया तदनुसार अपने स्तर से अधीनस्थों को निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

ह0 अस्पष्ट

(वीरेन्द्र प्रताप सिंह)

विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग को उक्त अधिसूचना की प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

2. जिलाधिकारी, गाजियाबाद/गौतमबुद्धनगर/आगरा/मथुरा/अलीगढ़ को उक्त शासनादेश एवं अधिसूचना की प्रति के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3. अपर महानिरीक्षक निबन्धन (पश्चिमी क्षेत्र) को उक्त शासनादेश एवं अधिसूचना की प्रति के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को अधिसूचना की प्रति के साथ प्रेषित।

ह0 अस्पष्ट

(वीरेन्द्र प्रताप सिंह)

विशेष सचिव।

पत्रांक 8899–980 / स्टाम्प–अधि / 09–10 दिनांक 11.05.2010

प्रतिलिपि समस्त उप / सहायक आयुक्त स्टाम्प को अधिसूचना संख्या– क0 नि0 5 –1679 / 11 –2010–500(11) / 2010 दिनांक 25.04.2010 एवं शासनादेश संख्या– 1216 / 77–3–10– 184 अर्जन / 09 दिनांक 24 अप्रेल, 2010 की प्रति संलग्न करते हुए इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत शासनादेश दिनांक 28.04.2010 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

ह0 अस्पष्ट

(सन्दीप कुमार शर्मा),

अपर आयुक्त स्टाम्प (प्र0)

संख्या–1216 / 77–3–10–184अर्जन / 09

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,

औद्योगिक विकास विभाग,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

नोएडा / ग्रेटर नोएडा / यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

गौतमबुद्धनगर।

2. जिलाधिकारी / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,

गौतमबुद्धनगर।

औद्योगिक विकास अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 24 अप्रेल, 2010

विषय– विभिन्न राजस्व ग्रामों में अर्जन प्रस्तावों में सम्मिलित कतिपय क्षेत्रफल के डीनोटिफिकेशन प्रस्ताव एवं नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अर्जित /अर्जनाधीन भूमि को विशेष परिस्थितियों में उन भू–स्वामियों, जिनसे भूमि अर्जित की गयी है या अर्जनाधीन है, को पटटा वापसी (Lease back) करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पत्रांक 336/10(भू0अ0) /कैम्प/ग्रे0नो0/गौतमबुद्धनगर, दिनांक 19.06.09 एवं पत्रांक 1976/वि0का0अ0(भू0अ0) / ग्रे0 नो0/गौतमबुद्धनगर, दिनांक 03.09.09 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों में निम्नलिखित कारणों यथा आबादी का विद्यमान होना, जन–आक्रोश का उत्पन्न होना एवं सामान्य कानून व्यवस्था का बिगड़ना आदि आदि को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त शासन ने यह निर्णय लिया गया है कि इन मामलों में डीनोटिफिकेशन हेतु संस्तुत भूमि के अर्जन की कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त, इस भूमि को उन भू–स्वामियों जिनसे भूमि अर्जित की गयी है अथवा अर्जनीय है, के पक्ष में वापस करने के लिए पटटा (Lease) की कार्यवाही, प्राधिकरण स्वस्तर पर, बोर्ड के अनुमोदन से कर सकते हैं। इन मामलों में भूमि वापस करने के लिए पटटा (Lease) हेतु सम्पादित किये जाने वाले पटटा प्रलेख (Lease deed) पर देय स्टाम्प डयूटी से पटटाग्रहीता को छूट होगी तथा प्राधिकरण द्वारा देय/दिया गया अधिग्रहण शुल्क सम्बन्धित प्राधिकरण के अन्य अधिग्रहण प्रस्तावों में समायोजित किया जायेगा।

2. मुझे अग्रतर आपसे यह कहने का भी निदेश हुआ है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा समय समय पर किसानों की अधिग्रहीत भूमि, यदि उपरोक्त प्रस्तर–1 में वर्णित तथा अन्य कारणों से सम्बन्धित प्राधिकरण के लिए उपयुक्त नहीं रह जाती है तो भविष्य में सम्बन्धित प्राधिकरण, उपरोक्तानुसार उन भू–स्वामियों जिनसे भूमि अर्जित की गयी है, अथवा अर्जनीय है, के पक्ष में वापस करने के लिए पटटा (Lease) की कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र होंगे। इन मामलों में भी वापस करने के लिए पटटा (Lease) हेतु सम्पादित किये जाने वाले पटटा विलेख (Lease deed) पर देय स्टाम्प डयूटी से पटटाग्रहीता को छूट होगी तथा प्राधिकरण द्वारा देय/दिया गया

अधिग्रहण शुल्क सम्बन्धित प्राधिकरण के अन्य अधिग्रहण प्रस्तावों में समायोजित किया जायेगा।

3. उपरोक्त प्रस्तरों से आच्छादित सभी प्रकरणों में आबादी हेतु दी जाने वाली 5/6/7 प्रतिशत भूमि, आवासीय प्लाटों के आवंटन में आरक्षण इत्यादि कोई भी लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

4. उपरोक्त विषयक पटटा वापसी की कार्यवाही के लिए प्रस्ताव, प्राधिकरण बोर्ड के सम्मुख एक कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर प्रस्तुत किया जायेगा। इस कमेटी में निम्नलिखित सदस्य होंगे–

(1) सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी,

(2) सम्बन्धित जनपद के पुलिस अधीक्षक,

(3) सम्बन्धित प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जो इस समिति के संयोजक सदस्य होंगे।

(4) अन्य अधिकारी जिन्हें मुख्य कार्यपालक अधिकारी आवश्यक समझें।

5. उक्त के सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

ह0 अस्पष्ट

(वी0एन0गर्ग),

प्रमुख सचिव।

<u>संख्या–1216(1)/ 77–3–10 तददिनांक</u>

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1.प्रमुख सचिव, मा0मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।

2. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मंत्रिमण्डलीय सचिव, उ0प्र0शासन।

3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/न्याय विभाग/राजस्व विभाग/कर एवं निबन्धन विभाग, उ0प्र0 शासन।

4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/मण्डलायुक्त।

5. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

ह0 अस्पष्ट

(धीरज साहू)

विशेष सचिव।